

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा म.प्र.

344
3/07/14



(R-20)-

R-2485-1114

1. सुरेन्द्र सिंह तनय जानकी बछश सिंह, उम्र-64 वर्ष, निवासी ग्राम जमुनिया,

श्री. अ. वि. न्यायालय द्वारा आज दिनांक 3/07/14 प्रस्तुत किया गया।
रिक्टर
सर्किट कोर्ट, रीवा

कस्बिल रामपुर बाघेलान, जिला सतना म.प्र. ----- निगरा कार

बनाम

1. गोल्ला तनय रामेश्वरा क्वार, नि.ग्राम सरमनपुर, तह.रामपुर बाघेलान

2. कुमुआ तनय श्यामलाल क्वार, नि.ग्राम जमुनिया, तह.रामपुर बाघेलान

3. रामसजीवन तनय बुद्धा उर्फ बुद्धसेन क्वार, नि.ग्राम सरमनपुर, तह.रामपुर बाघेलान

4. मुन्नी पुत्री श्यामलाल क्वार, नि.ग्राम जमुनिया, तह.रामपुर बाघेलान

5. शंती पुत्री श्यामलाल क्वार, नि.ग्राम जमुनिया, तह.रामपुर बाघेलान

जिला सतना म.प्र.

----- गैर निगरानी क्लारिफिकेशन

निगरानी विरुद्ध न्यायालय अनु विभागीय अधिकारी
तह.रामपुर बाघेलान जिला सतना म.प्र.

प्रकरण क्रमांक 25 अपील/2012-13 आदेश 17.6.14

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व
संहिता 1959 ई.

मान्यवर,

निगरानी के आधार :-

01-

यह कि अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 17.6.2014

भारतीय समयसीमा अधिनियम की धारा 5 व निर्धारित माननीय उच्च

न्यायालय व उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टिकोण से निरस्त

किये जाने योग्य है।

....2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक... R. 2485- ए/114... जिला... खरना

सुरेन्द्र सिंह / रेवला वीर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-1-16	<p>1- आवेदक की ओर से ली इन्डमार्ग पाठ्यपत्र [रू. उप.]</p> <p>2- आवेदक गा. खरना उपरान्त उपाख्येत नहीं है।</p> <p>3- आवेदक अभिभाषक द्वारा दिनांक 20-5-15 को इस आदेश का आवेदन पेश किया गया है। अभिभाषक द्वारा प्रमाण भेजा नहीं चलाया चोरे है. अतः इसी तरह पर समाप्त किया जाये। आवेदक अभिभाषक भी इस हथप की प्राप्ति समाप्त की गयी है। अतः प्रमाण इसी तरह पर समाप्त किया जाये।</p> <p>4- आदेश की प्रती के साथ अभिलेख वापस किया जाये। प्रमाण पेजी से समाप्त होकर हतः ह. हो।</p> <p style="text-align: right;">[हस्ताक्षर]</p>	<p>प्रकरण चलाना नहीं चाहेता</p> <p>वापस लेना चाहेता हूँ।</p> <p>[हस्ताक्षर] 20/1/16</p>